

अध्याय—1

प्रस्तावना

Chapter 1  
Introduction

- 1.1. कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)
- 1.1. Please throw light on the background of this hand-book (Right to Information Act 2005).

विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.10.05 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तिका में विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये सम्मिलित की गयी है।

- 1.2. हस्तपुस्तिका का उद्देश्य
- 1.2. Objective / purpose of this hand-book

इस पुस्तिका का उद्देश्य विभाग का परिचय देना है और जन सामान्य की दृष्टि से यदि कोई उपयोगी जानकारी चाही जाती है तो उसे परिचायात्मक रूप से इसमें दर्शायी गयी है, अर्थात् किसी विषय विशेष का शीर्षक देख कर उसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये जा सके इसे ध्यान में रखते हुये यह पुस्तिका बनायी गयी है।

- 1.3. यह पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है।
- 1.3. Who are the intended users of this hand-book?

यह पुस्तिका प्रमुख रूप से छात्रों के अभिभावकों, छात्र कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी /कर्मचारी एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के लिये उपयोगी है।

- 1.4. हस्त पुस्तिका का प्रारूप।
- 1.4. Organisation of the information in this hand-book

पुस्तिका का निर्धारण, 15 अध्यायों के अधीन किया गया है और प्रत्येक अध्याय में उसके शीर्षक की अंतिम गतिविधियों का विवरण दिया गया है।

- 1.5. परिभाषाएं (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग करी गयी शब्दावली को परिभाषित करें)।
- 1.5. Definitions (Please provide definitions of various terms used in the hand-book).

पुस्तिका में ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिनकी परिभाषा दी जाना वांछित हो।

- 1.6. हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए सम्पर्क व्यक्ति।

- 1.6. Contact person in case some body wants to get more information on topics covered in the hand-book as well as other information also.

डॉ राधा बल्लभ शर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, 5 वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004 दूरभाष क्रमांक 0755-2552823

- 1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क  
1.7. Procedure and Fee Structure for getting information not available in the hand-book.

राज्य शासन द्वारा समय –समय पर निर्धारित शुल्क देय होगी जिसकी प्रक्रिया वहीं रहेगी जो उपलब्ध जानकारी के लिये निर्धारित है ।